न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 02/2019

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.1 श्री देवीलाल पुत्र श्री केसराजी जाति गुर्जर निवासी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.2 मृतक श्री श्रवण पुत्र श्री मंशाजी के कायम मुकाम

2.2.1 श्री भैरूसिंह पुत्र स्व. श्री श्रवणसिंह जाति गुर्जर निवासी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.2.2 श्री नवलसिंह पुत्र स्व. श्री श्रवणसिंह जाति गुर्जर निवासी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.2.3 श्री दिलीप पुत्र स्व. श्री श्रवणसिंह जाति गुर्जर निवासी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.2.4 श्रीमती कमला पत्नि स्व. श्री जगदीश पुत्र स्व. श्री श्रवणसिंह जाति गुर्जर निवासी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.2.5 श्री राहुल पुत्र स्व. श्री जगदीश पुत्र स्व. श्री श्रवणसिंह जाति गुर्जर निवासी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.2.6 सुश्री रविना पुत्री स्व. श्री जगदीश पुत्र स्व. श्री श्रवणसिंह जाति गुर्जर निवासी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.2.7 सुश्री सुशीला पुत्री स्व. श्री श्रवणसिंह जाति गुर्जर निवासी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.3 मृतक श्री बालूराम पुत्र श्री भूराजी गुर्जर के कायम मुकाम–

2.3.1 श्री दिनेश पुत्र स्व. श्री बालूराम जाति गुर्जर निवासी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.4 श्री किशोर सिंह गुर्जर निवासी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.5 श्री राजकुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति गुर्जर निवासी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.6 श्री गोपालसिंह बैंसला अध्यक्ष देवनारायण ट्रस्ट सेक्टर 5 गायत्री नगर उदयपुर।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:58:47 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक 2[illegible].04.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में गुर्जर समाज धर्मशाला के नाम से जारी प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 15.04.1999 पट्टा संख्या 2069 दिनांक 12.12.1999 क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2.1 व 2.4, 2.5 एवं 2.6 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी, परन्तु दिनांक 13.04.2022 को इनके द्वारा वकालतनामा विड्रोल किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 2.2.5 एवं 2.6 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 2.2.1 से 2.2.4 एवं 2.2.6 से 2.2.7 एवं 2.3.1 के द्वारा किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को गुर्जर समाज धर्मशाला के नाम से नियमो के विपरित पट्टा जारी किए है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(ख) के तहत गैर आवासीय मकान का विक्रय विलेख जारी किया है, जबकि 157(ख) के अन्तर्गत पुराने गृहों का पट्टा जारी करने का प्रावधान है एवं अप्रार्थीगण संख्या दो इस हेतु पात्र नहीं है एवं न ही ग्राम पंचायत द्वारा ठोस प्रमाण प्राप्त किए है। इस प्रकार के विक्रय विलेख को जारी करने के लिए नियम 162(2) के तहत पूर्वानुमोदन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित है। यह है कि मौका निरीक्षण रिपोर्ट में पुराना मकान बताया गया है, जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या दो का किस प्रकार से कब्जा व अधिकार है, स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक ने बिना मौका देखे व स्वामित्व का निर्धारण किए बिना नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या दो के हक में गुर्जर समाज धर्मशाला के नाम से जारी विवादित पट्टा संख्या 2069 दिनांक 12.12.1999 क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 2.1 व 2.4, 2.5 एवं 2.6 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी, परन्तु दिनांक 13.04.2022 को इनके द्वारा वकालतनामा विड्रोल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2.2.5 की ओर से प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया कि प्रकरण की विषयवस्तु को ध्यान में रखकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 2.6 अध्यक्ष देवनारायण ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया कि गुर्जर समाज सरूपगंज जब से रेलला[illegible] गई है, करीब 150 वर्ष पूर्व का 60×90 के भू–भाग पर देवना[illegible] पर स्थापित कर पूजा अर्चना करते थे। उक्त धर्मशाला की [illegible] है, जो सरपंच के निधन होने से पट्टा जारी न[illegible] इसमें से 58×43 भू–भाग शरारती तत्वों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया जिनके [illegible]लाफ मुकदमा आई.पी.सी. की धारा 4230, 167, 468, 469, 471 के तहत एसीजेएम कोर्ट आबूरोड में विचाराधीन है एवं शेष 60×40 भू–भाग का सरपंच ग्राम पंचायत भावरी ने आवासीय पट्टा कीमत लेकर 1999 में जारी किया गया है। यह है कि 58×43 के फर्जी बेचान का पंजीयन रद्द करवाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:58:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही ने 10.08.2018 को पत्र जारी कर विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को निगरानी पेश करने का आदेश दिया। इसके पश्चात विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा ने धर्मशाला व मन्दिर का पट्टा निरस्त करवाने के लिए निगरानी गलत रूप से पेश की, इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही से पूर्वानुमति नहीं लेकर अपने पद का दुरूपयोग कर उक्त निगरानी पेश की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि गुर्जर समाज अतिपिछडा वर्ग से है, जिसे अनुग्रहित कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का खारिज किया जाना फरमावें।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 2.2.5 एवं 2.6 व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थीगण संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, भावरी द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत गुर्जर समाज धर्मशाला के नाम से जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत पुराने गृहों का आवासीय पट्टा जारी करने का प्रावधान है, जबकि उक्त पट्टा गुर्जर समाज धर्मशाला के नाम से जारी किया गया है एवं राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के अन्तर्गत धर्मशाला या अन्य गैर आवासीय मकान का पट्टा जारी करने का पंचायत नियमों में कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है। इसके लिए पंचायत नियम 162(2) के तहत राज्य सरकार को शक्तियां निहित है, जिसके तहत कोई भी आवंटन राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं हो सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 156 के अन्तर्गत जहां व्यक्तियों/व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो व नीलामी में उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता [illegible] नियम 156 के अन्तर्गत डी. एल.सी. दर पर नियम 154 के अन्तर्गत पु[illegible] कर सकती है, परन्तु उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या एक ने अ[illegible] देने की नियत से नियम 157(ख) में गुर्जर समाज ध[illegible] जारी कर राज्य सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाना प्रतीत होता है। पत्रावली पर उप[illegible] दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रा[illegible] संख्या दो के पक्ष उक्त पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 149 की पूर्ण अवहेलना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:58:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

किया जाना प्रतीत होता है। यह है कि मौका निरीक्षण हेतु गठित तीन वार्ड पंचों की कमेटी ने मौका निरीक्षण रिपोर्ट में पुराना मकान बताया है, परन्तु उक्त मिसल में यह अवगत नहीं करवाया गया है कि उक्त विवादित स्थल पर अप्रार्थीगण संख्या दो का किस प्रकार से कब्जा व अधिकार है, जिनके स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। यह है कि नियम 161 में विक्रय की स्थिति में आबादी भूमि के कपितय प्रवर्गों में अपवर्जन किया जा सकता है, जिसमें रेलवे लाईन से एक सौ फुट की दूरी की पालना नहीं की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचातय भावरी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या दो के हक में गुर्जर समाज धर्मशाला के नाम से जारी पट्टा संख्या 2069 दिनांक 12.12.1999 क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या दो चाहे तो राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 162(2) के तहत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार आवंटन या नियमन करवाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner